गिरन्द सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज

Affiliated to M.J.P.R. University Bareilly

स्थापना वर्ष - २०१२

PROSPECTUS 2024

पीलकपुर श्योराम (डिलारी), मुरादाबाद, (उ० प्र०)

Ph. : 0591-2249111

Website : www.gsmdc.in Email : info@gsmdc.in

॥ महाविद्यालय के प्रेरणास्रोत ॥

स्व० मा० गिरन्द सिंह जी

जन्मतिथिः 5 जनवरी 1942

पूण्यतिथिः 15 मार्च 2002

गिरन्द सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज

Affiliated to M.J.P.R. University Bareilly

पीलकपुर श्योराम (डिलारी), मुरादाबाद, (उ0 प्र0)

स्थापना वर्ष – 2012

सत्र : 2024-25

महाविद्यालय के प्रेरणास्रोत

स्व0 मा0 गिरन्द सिंह जी

अध्यक्ष

योगेन्द्र स्वरूप

प्राचार्य

डॉ.नीतू गौड़

सचिव

मनोज चौहान

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भग्य विधाता।
पंजाब - सिन्धु - गुजरात - मराठा।
द्रविड़ - उत्कल - बंग।
विन्ध्य - हिमाचल - यमुना - गंगा।
उच्छल जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे।
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता,
जय हे! जय हे! जय हे!!
जय जय जय जय हे!

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलम्।
शस्य श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। धृति।।
शुभ्रज्योत्रनां पुलकितयामिनीम्।
फुल्ल - कुसुमित - द्रुम - दल शोभिनीम्
सुहासनीं सुमधुरमाषिणीम्।
सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम् ।। १ ।।
कोटि - कोटि कण्ठ कल - कलनिनाद कराले।
कोटि - कोटि भुजैर्धृत - खर - करवाले।
अबला केनो मा उलो बोले।
बहुबलधरिणीं नमामि तारिणीं।
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम् ।। २ ।।
तुमि विद्या तुमि धर्म। तुमि हृदि तुमि मर्म।
त्वं हि प्राणं शरीरे। बाहु ते तुमि मां शक्ति।
हृदये तुमि मां भक्ति।
तोमारि प्रतिमा गढ़ि मंदिरे मंदिरे मातरम्।
वन्दे मातरम् ।। ३ ।।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीम्।
कमला कमलदल विहारिणीम्।
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्।
नमामि कमलाम्, अमलाम् अतुलाम्।
सुजलां, सुफलां, मातरम्। वन्दे मातरम् ।। ४ ।।
श्यामलां, सरलां सुस्मितां भूषितां।
धरणीं, भरणी, मातरम्। वन्दे मातरम् ।। ५ ।।

अध्यक्ष जी का उद्‌वोधन

अध्यक्ष जी की कलम से

गिरन्द सिंह मेमोरियल महाविद्यालय पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में पनपा, स्वच्छ और शान्त वातावरण पीलक पुर श्योराम (डिलारी) मुरादाबाद मार्ग पर स्थित है। मास्टर गिरन्द सिंह जी की हार्दिक इच्छा का सम्मान करते हुए शिक्षा का एक अनुपम अनूठा महाविद्यालय की स्थापना २०१२ में हुई। जहाँ छात्र व छात्राओं को वैज्ञानिक एवं परोक्ष रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर अपने जीवन मूल्यों की पहचान मिली है।

महाविद्यालय के तीसरा सत्र २०१४-१५ में रचनात्मक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अत्तर्गत कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से पूर्ण हुआ है। अब तक अनुशासनात्मक उपलब्ध सुविधाऐं, नियमित शिक्षण एवं प्रयोगात्मक कार्य योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आन्तरिक व्यवस्थाओं के साथ-साथ कर्मठ एवं प्रयत्नशील प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा महाविद्यालय की उन्नति को गति प्रदान की गई। जिसमें अध्ययनरत छात्र, छात्राओं व सम्मानित अभिभावको का सहयोग सराहनीय रहा।

यूँ तो राष्ट्र व समाज को सदैव नूतन सृजन की आवश्यकता होती है किन्तु वर्तमान में सम्भवतः हम कुछ अधिक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यह समय है मूल्यों के क्षरण व उसके प्रति सदेंहास्पद हो उठने का। हमारा कर्तव्य है कि हमारे मूल्यों के प्रति चिन्तन करते हुए उनकी पुनः प्रतिष्ठा करें और संदेह का वातावरण समाप्त करते हुए तमस् के ज्ञान व प्रकाश से निवारण करें। जननी, जन्म भूमि सदैव अपने पुत्रों से ही प्रकाशित हुई है और उन पर गर्व करती रही है।

आप सभी के सहयोग, सुझाव, अनुशासन एवं विकास का यह क्रम निरन्तर बना रहेगा ताकि गिरन्द सिंह मेमोरियल महाविद्यालय पीलक पुर श्योराम (डिलारी) मुरादाबाद अपने मूल उद्धेश्यों की पूर्ति कर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके।

आप सबके सहयोग की कामना करते हुऐ इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का हित ही हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। आप अपने बहुमूल्य तीन वर्ष हमें दे हम आपको पूर्ण सार्थक जीवन देगें।

धन्यवाद

योगेन्द्र स्वरूप

अध्यक्ष

Dear Students,

Congratulations all students and their parents. I am pleased to announce that G.S.M. Degree College has been successfully running and completed Three year of it's brilliant session of B.Sc. and B.A. We are committed to provide the students with a conducive and productive learning experience.

You are the nation-builders. You are the movers of technology. You are the agents of change." It is our fervent hope that the years that you spend in G.S.M. Degree College would enable you to equip with leadership and managerial skills. The knowledge that you will gain, the fine qualities that you will imbibe and the technical skills that you will learn to apply will be your major contribution to your parents, to society, and to the nation.

We invest our trust on you. You are our safe source and we bank all our efforts on you. We create not the future instead we craft you for the future. There are strong challenges to great efforts but, always remember, great effort bears the sweet fruit of success. We want you to taste the fruit of success once and for the rest of your life, you will never rest.

"You don't have to be great to start, but you have to start to be great."

We are doing our best to cultivate our students to transform them into responsible and confident persons. We have added NSS and looking to add more in future to promote moral and social character of our students and looking for your support in the future to realize that.

Our mission for G.S.M. Degree College is to position the college as an innovative, learning-centered institution. As recognized leaders and supporters of teaching and learning, we will continue to approach future developments with optimism and adapt our services to fit the ever-changing environment in education – to remain invaluable to the community in which we serve our best. We have a perfect ambiance for development of our students and want social, cultural, Physical and Economical activities to lubricate body and mind.

"We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future."

I convey my best wishes to the new batch of emerging programmes. May they have a life full of challenges and yet have the most professionally satisfying careers. It is high time that we give serious thought to the philosophy of education and remembers to every-body- **"Arise, awake, and not stop till the goal is reached."**

Thanks

Mr Manoj Chauhan

Secretary

मंजिल की ओर बढ़ते कदम.....

प्रिय, छात्रो एवं छात्रओं,

आप सब का पीलकपुर श्योराम डिलारी मुरादाबाद की प्रतिष्ठित संस्था गिरन्द सिंह मैमोरियल महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत हैं। जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आप गिरन्द सिहं मैमोरियल महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे है। मेरी और महाविद्यालय की प्रबन्धन की शुभकामनाएं आपके साथ है। हम सदैव आप के सफल एवं उज्जवल भविष्य के लियें प्रयासरत थे है और रहेंगें।

सपने सजोने की कभी कभी बड़ी पहल का आधार बन जाता है मास्टर गिरन्द सिहं जी के हृदय में समाज की गरीव कमजोर और बेसहारा लोगो के लिए दर्द था। उनका सपना था कि एक ऐसी शिक्षा संस्था की स्थाना की जाये जिसमें समाज का हर वर्ग विशेश रूप से गरीब कमजोर बेसहारा शिक्षा प्राप्त कर सके।

स्वं गिरन्द सिहं जी की पत्नि श्रीमति कैलाशवती ने अपने पति के सपने को साकार करते हुए इस क्षेत्र में उनकी स्मृति में अपने कर्मठ पुत्रों तथा उनके विद्या प्रेमी मित्रों के सहयोग से इस महाविद्यालय की स्थापना की। मुझे गर्व है कि उनके सर्मपण से भरे इस महाविद्यालय ने अपना तीसरा सत्र २०१४-२०१५ भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है मुझे संतोष है कि इस सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को अधिकतम छात्रवृतियां प्रदान की है मुझे गर्व है कि हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को हम सत्र में भी निशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की गई है तथा उनकी अभिरूचियों का मनोवैज्ञानिक मापन करके उन्हे ये भी समझने मे सहायता प्रदान की गई है। कि किस कार्य क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का भी मनोवैज्ञानिक निदान करके उन्हें जीवन में कामयाबी के पथ पर अग्रसर किया गया। तीसरे सत्र के प्रारम्भ में ही रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा हमारे महाविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना (**N.S.S.**) के सराहनीय कार्यो के कारण एक और राश्ट्रीय सेवा योजना की इकाई आंवटित की गयी। राष्ट्रीय सेवा योजना के अर्न्तगत हमारे महाविद्यालय के छात्र/छात्रओं ने गाँव गाँव जाकर शिविर लगाकर समाज उपयोगी कार्य किये तथा अपने अन्दर छिपी समाज सेवा की भावना का परिचय दिया। जिसका उपयोग पूरे क्षेत्र में हुआ। ये हर्ष का विषय है कि इस सत्र में बी. ए. एवं बी. एससी. तृतीय वर्ष की कक्षाओं का संचालन सफलता पूवर्क समपन्न हुआ।

ये अत्यन्त गौरवपूर्ण उत्साह वर्धक रहा कि तीसरे ही सत्र में एम. जे. पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली ने हमारी परीक्षा संचालक की कार्यप्रणाली को सराहते हुए तथा उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए हमारे महाविद्यालय को क्षेत्र के दो अन्य महाविद्यायों का भी परीक्षा केन्द्र बनाया। हमें गर्व है कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य एवं जिम्मेंदरी को निभाने में सफलतापूर्वक कामयाव रहे।

इस महाविद्यालय में आप को अनुशासनबद्ध शैक्षणिक कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराये जायेगें । इसके अतिरिक्त खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। एक श्रेष्ठ चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण के सभी साधन विद्यालय प्रांगण में ही उपलब्ध है।

नवीन शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने पर महाविद्यालय का नियमित विस्तृत परिचायत्मक कार्यक्रम होगा। हमारा प्रमुख ध्येय है कि छात्रों एवं छात्राओं में नेतृत्व शक्ति का विकास हो उनकी सभी प्रतिभाये मुखरित हो जिससे हमारे सभी छात्र/छात्रांऐं अपने आपको समाज और देश के लिए उपयोगी सिद्ध करें।

परस्पर सौहार्द एवं मैत्री भावना की सुंगन्ध से आपका जीवन पुष्प परिपूर्ण हों। इस महाविद्यालय प्रांगण में गुजारा गया हर एक पल सुन्दर, सफल और अतिस्मणीय हो ऐसी मेंरी शुभकामनायें है।

प्राचार्य डॉ.नीतू गौड़

Advisory Panel

1.	**Dr. R.P. Bajpai**	Vice Chancellor	Veltec Technical University, Chennai
2.	**Prof. (Dr.) M.N. Hoda**	Director	Bharti Vidya Peeth, New Delhi
3.	**Dr. D.K. Lobiyal**	Professor	Jawaharlal Nehru University, Delhi
4.	**Dr. V.K. Vats**	Associate Professor	Hindu College, Moradabad
5.	**Dr. Danveer Yadav**	Associate Professor	K.G.K. Degree College, Moradabad
6.	**Sh. Javender Singh (Padhan)**	Councilor	Moradabad Mahanagar Palika
7.	**Dr. V.S. Dixit**	Asst. Professor	Delhi University
8.	**Md Muntazir Hussain**	Senior Engineer	GAIL
9.	**Md Aslam**	Civil Engineer	Construction Company
10.	**Sh. N.K. Vatsal**	Advocate	Delhi High Court
11.	**Dr. Atul Vishnoi**	Orthopedic Surgeon	Kothiwal Hospital, Moradabad
12.	**Dr. Mahendra Agnihotri**	Asst. Professor	Lucknow University

प्रवेश नियम व अर्हतायें

(सत्र 2024-25)

(खण्ड 'क')

१. विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।

२. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

३. क) विद्यार्थी की अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

ख) विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष मं परीक्षा सुधार के हकदार हैं, उन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति दे कर प्रवेश की अंतिम अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा में ३३ प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। जैसी वस्तु स्थिति हो परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।

ग) ३ (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल स्नातमक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।

घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुये छात्र की परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अर्थात् प्रवेश के समय छात्र पाठ्यक्रम हेतु आया होना चाहिए।

४. क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस.सी. (त्रिवर्षी पाठ्यक्रम) की परीक्षा अधिकतम ६ वर्ष की अवधि में करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र २००१-२००२ से प्रभावी है। यह नियम मात्र संस्थागत अभ्यार्थियों पर ही लागू होगा।

ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वह परीक्षा से वंचित होते हैं।

५. परीक्षार्थी की ४ (क) में दर्शायी गयी अनुमान्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण /पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

६. जो विद्यार्थी प्रयोगात्क परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिये भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी।

७. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है अर्थात दो पाठ्यक्रमों एक साथ करने की अनुमति नही होगी। अर्थात दो पाठ्यक्रमों मे से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा।

८. छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकाय अन्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

९. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो, अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, किन्तु विश्वविद्यालयल ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमति दे सकता है, जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से

उत्तीर्ण की हो परन्तु यह प्रवेश नियम के अधीन होगा।

क) संबंधित विषय की पाठ्यक्र समिति (बोर्ड ऑफ स्ट्डीज) के संयोजक एवं संबंधित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित दोनो स्नातक पाठ्यक्रमों से अध्ययन कर सकेंगे।

ग) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन (नकल) प्रयोग में दण्डित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

१०. क) जिन विद्यार्थयों ने किसी भी स्नातक/पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है जो उसे पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति होगी।

ख) एक विषय में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किंतु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी। किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जायेगा और ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थ अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगें।

११. विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र ही एक समतुल्यता समिति का गठन किया जायेगा जो अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के विवादों, परीक्षा प्रणाली, पत्राचार पाठयक्रम और अन्य समस्याओं का निस्तारण करेंगी।

१२. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठयक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठयक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य (समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थक, छात्रों का अहित आदि) के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

१३. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता प्रमाणपत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कॉलेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कॉलेज के द्वारा किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।

१४. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठता या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह भूतपूर्ण छात्रा के रूप से आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।

स्पष्टीकरण – जो छात्र प्रवेश लेने के पश्चात अन्यत्र कहीं चला जाता है और परीक्षा फार्म आदि नहीं भरता है, वह अगले वर्ष भूतपूर्ण छात्र के रूप में तभी सम्मिलित होगा जब उसने संस्थागत छात्र के रूप में ७५ प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर ली हो।

१५. क) अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों को, विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसार के किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ख) यह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

ग) महावद्यिालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यार्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है, मना कर सकता है भले ही मामला जैसा भी हो।

घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश की कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

ड) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राकटोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुंडागर्दी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

१६. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडियेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। (हाईस्कूल स्तर की परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों ने चाहे किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।

१७. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुये स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।

१८. जिन विद्यार्थियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा अथवा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे बी.ए. विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अर्ह होंगे।

स्पष्टीकरण – सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी.एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षा विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि मे जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।

१९. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिये नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।

२०. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक यह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/अन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।

(खण्ड 'ख')

विशेष निर्देश

१. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)

२. क) शासन आदेश अनुरूप महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े जाति के छात्रों के लिये २१ प्रतिशत, ०२ प्रतिशत और २७ प्रतिशत क्रमशः स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। छात्रावास में आरक्षित स्थान तब तक रखें जायेंगे जब तक प्रवेश की तिथि समाप्त न हो।

स्पष्टीकरण – विकलांगों की सभी श्रेणियाँ (दृष्टिहीन/कम दृष्टि/श्रवण ह्रास) एवं पालन निःशक्तता या प्रभास्तिकीय अंक घात के लिये अलग अलग एक प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।

ग) यदि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके रिक्त स्थान अनुसचित जाति के छात्रों से भरें जायेंगे। यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं तो उसे सामान्य सीटें मानकर भरा जायेगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहें हैं।

३. अन्य प्रदेश के छात्रों के लिये (मैरिट) योग्यता के आधार पर प्रत्येक पाठयक्रम में केवल पाँच प्रतिशत स्थान हेतु आरक्षित किये जायेंगे और बाहर के सभी छात्र सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

४. सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों (अभिभावक) के स्थानान्तरण अथवा सेवा बर्खास्तगी/माता-पिता के स्वर्गवास/छात्रा के विवाह के फलस्वरूप कुलपति के आदेश से अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश इस शर्त पर दिये जा सकते हैं कि वे प्रवेश के लिये पात्रता रखते हों। ऐसे प्रवेश ३१ अक्टूबर के उपरांत नहीं लिये जायेंगे और इनके लिये सीटें निर्धारित के अतिरिक्त होंगी।

५. प्रवेश के लिये ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के ०२ अंक घटाकर प्रवेश जयेष्ठता सूची तैयार की जायेगी लेकिन ०३ वर्ष से अधिक अंतराल पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

६. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठयक्रम के प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा जिसने १०+२ परीक्षा उत्तीरर्ण नहीं की है।

७. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विष्यों की कक्षा में ६० छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय ६० के स्थान पर ८० छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की संबद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त किये बिना महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

८. प्रवेश हेतु तैयार की गई है मैरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक दिये जायेंगे।

अ)	राष्ट्रीय अथवा अंतर विश्वविद्यालय, खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये भारांक	१० अंक
ब)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	०५ अंक
स)	विश्वविद्यालय/सबद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	१० अंक
द)	एन.सी.सी. के 'सी' प्रमाण पत्र अथवा 'बी' प्रमाण पत्र 'जी-II' प्रमाण पत्र और	१० अंक एक

	'बी' और 'जी प्रथम' प्रमाण पत्र के लिये	०५ अंक	अधिकतम
ड)	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा २४० घण्टे की सेवाएँ	१० अंक	एक
	एन.एस.एस. का एक शिविर पूर्ण करने तथा २४० घण्टे की सेवाएँ	०५ अंक	अधिकतम
	२४० घण्टे अथवा १२० घण्टे तथा एक शिविर		
	या		
	१२वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाईड, तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	०५ अंक	
	या		
	प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	१० अंक	
	भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	१० अंक	
	रोवर्स/रोवर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	०५ अंक	

नोट – किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को १० अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी अर्थात भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

९. स्पोर्ट्स कोटि के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नही होगी अर्थात जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

१०. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिये बिना कारण बताये प्रवेश के लिये मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।

११. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क सांध्यकालीन कक्षाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठयक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है उसी श्रेणी में पूरे पाठयक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमान्य नहीं होगा।

१२. एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों का पारस्परिक स्थानान्तरण केवल समान कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात संभव होगा एवं स्थानान्तरण कराये जाने के कारणों का उल्लेख करते हयु छात्र को दोनों प्राचार्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमान्य होगी। परन्तु शुल्क का हस्तान्तरण नहीं होगा। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों से अनुदानित महाविद्यालयों मे से कोई स्थानान्तरण नहीं होगा।

१३. जिन पाठयक्रमों में किसी समक्ष समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।

१४. स्ववित्त पोषिक योजना के अन्तर्गत लिये गये प्रवेश सामान्य योजना में अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार सामान्य योजना के अन्तर्गत किये गये प्रवेश स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किसी भी महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।

१५. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठयक्रमों के प्रवेश संबंधित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।

१६. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठयक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायोगा। यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएँ

१. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राएँ प्रवेश आवेदन पत्र भरकर उसे निर्धारित तिथि तक (जो कॉलेज द्वारा सूचना पट्ट पर घोषित की जायेगी) जमा कर दें और उसकी रसीद प्राप्त कर लें। इसके उपरानत कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

२. बी.ए./बी.एस.सी. भाग के समस्त प्रवेश संबंधित प्रवेश समितियों द्वारा किये जायेंगे।

३. आवेदन पत्र के साथ अंतिम परीक्षा/प्रवेश योग्य बनाने वाली परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित छाया प्रति लगायें।

४. यदि राष्ट्रीय/अंतर्विश्वविद्यालीय/प्रदेशीय/मण्डलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा एनसीसी के 'बी' या 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन.एस.एस. का लाभ माँगा गया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

५. आरक्षण श्रेणी के छात्र संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

६. सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति पर अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षार होने अनिवार्य हैं।

७. आवेदन पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त योग्यता के आधार पर प्रवेश चयन सूची कॉलेज सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होने की तिथि एवं समय सूची भी अंकित होगी। उसी के अनुसार सभी को प्रवेश के लिये उपस्थित होना होगा। **निर्धारित तिथि पर यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने में असमर्थ है तो अपने किसी निकट संबंधी जैसे भाई-बहन, माता-पिता को प्रवेश के समय अवश्य भेज दे अन्यथा उसके प्रवेश का दावा समाप्त हो जायेगा।**

८. प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद के निवारण हेतु अभ्यर्थी अपील कर सकता है जिसकी सुनवाई प्राचार्य द्वारा नामित कॉलेज की एक प्रवेश समस्या निवारण समिति करेगी। ऐसी अपील या प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के १५ दिन के अंदर सुनी जायेगी। ऐसे सभी अभ्यार्थियों को इस संबंध में स्वयं कॉलेज कार्यालय के नोटिस बोर्ड से जानकारी प्राप्त करनी होगी।

९. शुल्क की धनराशि जो कि विवरण पुस्तिका में लिखी गई है उसे संबंधित शुल्क काउण्टर पर जमा करने के लिये साथ लायें।

१०. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य है:-

क) चरित्र प्रमाण पत्र (अंतिम संस्था के प्राचार्य द्वारा) यदि किसी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश योग्य बनाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

ख) अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज के फोटों चार प्रतियाँ।

ग) सभी अंकतालिकाओं व अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ दिखाने के लिये साथ लानी होगीं तथा उनकी अनुप्रमाणित छाया प्रति जमा करनी होगी।

११. बी.एस.सी. के सेक्शन, प्रवेश के समय प्रवेश समिति द्वारा आवंटित कर दिये जाते हैं। बी.ए. के सेक्शन प्रवेश के उपरान्त कार्यालय में स्लिप तैयार करके छात्रों को आवंटित किये जाते हैं।

१२. समय सारिणी से अपना सेक्शन देखकर शिक्षा ग्रहण करें। अभ्यर्थी प्रवेश के समय प्राप्त समय सारिणी के अनुसार पठन-पाठन हेतु अपना सेक्शन देखकर कक्षाओं में जायें अन्य किसी प्रकार की दुविधा या अध्यापक की जानकारी हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं।

१३. कॉलेज के प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक परिचय पत्र दिया जाता है। छात्रों को भलीभाँति रूप से उसे अपने पास रखना चाहिये जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखा सकें। परिचय पत्र की दूसरी प्रति केवल विशेष परिस्थिति में कार्यालय में २५ रुपये का भुगतान करने पर ही प्राप्त की जा सकती है। प्रवेश लेने के एक सप्ताह में परिचय पत्र बनवाना आवश्यक है अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१४. जिन छात्र/छात्राओं ने इण्टरमीडियेट (कृषि) परीक्षा से उत्तीण की है वे बी.एस.सी. में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

१५. प्रवेश समिति द्वारा योग्यता क्रम के आधार पर सेक्शन आवंटित किये जायेंगे।

१६. प्रवेश के उपरांत विषय परिवर्तन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्णतया वर्जित है।

नोट – यदि शासन, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त नियमों में कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो वह नियम तत्समय स्वतः प्रभावी होगा।

आवश्यक निर्देश जिन पर ध्यान देना अनिवार्य हैः–

१. विश्वविद्यालय द्वारा र्गित निर्देशों के अनुसार सत्र २०१५–१६ में सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि ३१ जुलाई २०१५ है। अतः सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश लेकर शुल्क अवश्यक जमा कर दें। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना व प्रवेश लेकन शुल्क जमा नहीं कराता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी। ३१ जुलाई २०१५ अथवा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी प्रवेश नहीं होगा। प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने से वंचित किया जा सकता है और दिये हुये प्रवेश को भी निरस्त किया जा सकता है।

२. रैगिग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुये पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत निर्णय में इंगित बिन्दुओं के अनुपालन में कार्यवाही की जायेगी।

३. प्रत्येक छात्र/छात्रा की ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

४. किसी भी अभ्यर्थी को सामयिक छात्र/छात्रा (Casual Students) के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

५. प्रवेश निरस्त कराने पर केवल परीक्षा शुल्क ही वापस किया जायेगा।

६. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा, (चाहें वह लाईसेंस धारक की क्यों न हो), को किसी भी प्रकार का हथियार कॉलेज में लाना वर्जित है।

७. प्राचार्य कक्षा, कक्षाओं में पढ़ाई के समय, पुस्ताकालय, प्रयोगशाला, सेमीनार/कॉन्फ्रेंस, सभागार तथा परीक्षाओं इत्यादि में मोबाईल फोन का प्रयोग करना वर्जित है।

८. कॉलेज प्रांगण में धूमपान, नशीले पदार्थों का प्रयोग, थूकना, गंदगी करना, छिलके, पॉलीथीन आदि फैंकना तथा अशिष्ट भाषा का प्रयोग एवं व्यवहार पूर्णतया वर्जित है।

९. परीक्षा सुधार के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अगली कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार किये जायेंगे।

१०. खाली समय में छात्र/छात्राएँ कॉलेज पुस्तकालय में जाकर ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

११. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु चीफ प्रॉक्टर/प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण (Dean Student Welfare) से सम्पर्क करें।

१२. यदि छात्र/छात्रा की कोई विशेष समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से चीफ प्रॉक्टर अथवा प्राचार्य से मिलने का समय निश्चित कर मिल सकते हैं।

१३. छात्र/छात्राओं को विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु विभागाध्यक्ष अधिकृत हैं।

१४. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर में शालीन वस्त्र पहनेंगे।

१५. किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु अर्ह विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र विवरण पत्रिका के साथ उपलब्ध है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को भरकर संबंधित काउण्टर पर निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें।

विषय

एम.ए	**बी.ए. कक्षा**	**बी.एस.सी. कक्षा**
अंग्रेज़ी	हिन्दी	भौतिक विज्ञान
शिक्षाशास्त्र	अंग्रेजी	रसायन विज्ञान
भूगोल	राजनीति शास्त्र	वनस्पति विज्ञान
समाज शास्त्र	गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान
गृह विज्ञान	भूगोल	गणित
	शिक्षा शास्त्र	
	समाज शास्त्र	

नोट – बी.ए. में सामान्य हिन्दी या सामान्य अंग्रेजी में से एक विषय लेना अनिवार्य है।

:महाविद्यालय के अनुपालनीय अत्यावश्यक नियम:

१. यह **विवरणिका** प्रवेशार्थियों को प्रचलित अनुपालनीय नियमों से परिचित कराने के लिए है, पाठ्यक्रम, शुल्क तथा किसी भी विषय के सम्बन्ध में अधिनियमों, परिनियमावली एंवं अध्याादेशों में दिये गये नियम ही मान्य होगें।

००. महाविद्यालय के प्रत्येक **छात्र/छात्रा** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस **विवरणिका** को ध्यान से पढ़कर महाविद्यालय में प्रचलित नियमों और विनियमों से सुपरचिति हो जाये और इनको अक्षरशः अपनाकर आत्मसात् कर लें।

३. प्रवेश के समय छात्र/छात्रा को प्रवेश-समिति के समक्ष मूल-प्रमाणपत्रों सहति स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। छात्र/छात्रा महाविद्यालय से सम्बधिंत अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करेगें। अभिभावकों का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। विशेष जानकारी हेतु प्रार्चाय की अनुमति से ही अभिभावक महाविद्यालय में आ सकते हैं।

४. महाविद्यालय में प्रत्येक में विषय की निर्धारित सीटें, प्रवेशार्थियों की मैरिट की वरीयता के आधार पर ही भरी जायेगी। निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी अधिक प्रवेश सम्भव नही होग क्योंकि उत्तर प्रदेश संख्या ४०४(१) सत्तर-२०० तद् दिनांक २८ मार्च २००६ के अनुसार निर्धारित सीट से अधिक प्रवेश होने पर प्राचार्या, प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक तथा कुलपति पर मुकदमा दर्ज हो सकता है।

५. महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से सम्बधिंत कोई भी अपना कार्य यदि छात्र/छात्रा द्वारा पूर्ण नही कराया जाता है और उसका अनुक्रमांक/परिक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा रोका जाता है तो छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मदार होगा।

६. जो अभ्यर्थी न्यायालय द्वारा दण्डित होगा, अनुचित साधन प्रयोग के अभियोग से आरोपित हेागा, किसी न्यायालय में वाद विचाराधिन होगा अथवा सम्मानीय जनों के प्रति दुर्व्यवहार करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

७. महाविद्यालय अभिभावको से भी सहयोग चाहता है। यदि किसी अभिभवक की कोई शिक्षात्मक हॉबी हो जिसका लाभ छात्र/छात्राओं को दिया जा सकता है। महाविद्यालय में पवेश ले चुके छात्र/छात्रा के माध्यम से, प्राचार्य से अनुमति लेकर किसी ऐसेम्बली दिवस में अन्य छात्र/छात्राओं को लाभावन्ति करवाने का कष्ट करें।

८. बी.एं. प्रथम वर्ष तथा बी. एससी. प्रथम वर्ष में आवेदन ही इच्छुक **छात्र/छात्राएं** ०१ जुलाई से ३१ जुलाई तक अपने आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर महाविद्यालय में जमा कर दे। निर्धारित सीट भर जाने के बाद विषय में प्रवेश मान्य नही होगा।

९. महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके **छात्र/छात्राएँ** महाविद्यालय के अनुशासन का पूर्ण पालन करेंगे। अनुशासनहीनता, रैगिंग अथवा किसी के भी प्रति दुर्व्यवहार करने पर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

१०. प्रवेश देने के सम्बन्ध में अन्तिम एंव पूर्णाधिकार प्राचार्या का होगा। वह बिना कारण बताये हुए किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश देने से मना कर सकता है तथा दिया गया प्रवेश निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा का जमा शुल्क वापस नही दिया जायेगा।

११. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म का निर्धारित शुल्क परीक्षा फार्म लेते समय ही देना होगा। शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह देय होगा।

:: शिक्षणेत्तर योजनाएँ एवं गतिविधियाँ ::

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) :

समाज तथा राष्ट्र के लिए समर्पित सेवार्थी तैयार करने के लिये मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के युवा कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के सहयोग से राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ हमारे महाविद्यालय में कार्यरत हैं। कर्त्तव्यनिष्ठ योजनाधिकारियों के प्रयासों से गत अनेक वर्षों से रा०से०यो० के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप किए जाते रहे हैं। सात दिवसीय तथा एक दिवसीय विशेष शिविरों में महाविद्यालय की सेवार्थियों ने साक्षरता, गंगा प्रदूषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा, मलिन बस्तियों की स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं प्रौढ़ शिक्षा जैसे अनेक कार्यो पर विशेष बल दिया है।

स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष की छात्र/छात्राओं को प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जाता है। स्नातक प्रथम वर्ष की छात्र/छात्राएँ राष्ट्रीय सेवा योजनाधिकारियों से सम्पर्क करके सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय वर्ष से कुछ सेवार्थी लिए जाते हैं परन्तु तृतीय वर्ष से किसी भी स्थिति में नया पंजीकरण नही हो सकता। यह द्विवर्षीय कार्यक्रम है।

पर्यावरण सरंक्षण क्लब :

भारत सरकार द्वारा चलाए गये 'समीर' अभियान के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षण क्लब" का गठन भी हमारे महाविद्यालय में किया गया है। इसका मूल उद्देश्य प्राणीमात्र के अनिवार्यतम जीवनाधार शुद्ध वायु, जल एंव शुद्ध भोजन को सुलभ बनाने तथा तीव्रगति से उत्तरोत्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना है।

इस क्लब का संकल्प नर-नारी उदारीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, वृक्षारोपण, भमिजल संरक्षण, हरीतिमा संवर्धन तथा रोजगार का सृजन करना है।

खेल कूल :

खेलकूद के लिए महाविद्यालय स्तर से छात्र/छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधा है। खेलकूल के प्रति छात्र/छात्राओं की रूचि जागृत करने तथा खिलाड़ी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा पुरस्कार वितरण किया जाता है महाविद्यालय में खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, महाविद्यालय में खेलों के प्रशिक्षण हेतु एक कुशल शारीरिक शिक्षा अधीक्षिक नियुक्त है तथा प्राध्यापिकाओं की एक समिति भी बनायी जाती है।

::परीक्षाकाल में प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा अनिर्वाता पालनीय नियम::

१. संस्थागत समस्त छात्र/छात्राएं महाविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में प्राचार्या/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।

२. परीक्षाकाल में मोबाईल, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, ड्राइंग बाक्स आदि लेकर आना पूर्णतः प्रतिबिन्धित होगा। छात्राएँ प्रवेशपत्र, परिचय पत्र, पैन, पैसिल, रबर आदि प्लास्टिक की परअर्शी थैली में ला सकती हैं।

३. नकल करना एक संज्ञेय अपराध है। यदि कोई छात्र/छात्रा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो नकल अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे छात्र/छात्रा को दोबारा महाविद्यालय में प्रवेश नही मिलेगा।

४. परीक्षफल में छात्र/छात्राएँ पंक्तिबद्ध होकर अपनी तालाशी देने के बाद ही परीक्ष कक्ष में जायेंगे। प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं और से प्रवेश पूर्णतः वर्जित तथा दण्डनीय होगा।

५. प्रवेश पत्र में दिये गये अनुक्रमांक के अनुसार परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष में बैठने का स्थान विषय के अनुसार नियत होता है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियत स्थान पर बैठकर ही परीक्षा देनी होगी।

६. अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को कक्ष-परिवेक्षक को सौंपने के बाद ही छात्र/छात्रा कक्ष से बाहर जायेंगे।

७. परीक्षा से संबंधित किसी अधीक्षिका, कक्ष-परिवेक्षक तथा कर्मचारी से दुर्व्यवहार, अभद्रता, धमकी, मारपीट आदि करने पर परीक्षार्थी को आगे की परिक्षा में सम्मिलित होने से वचित कर दिया जायेगा।

८. परीक्षाकाल में विलम्ब से आने वाली छात्र/छात्रा को १५ मिनट के बाद परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नही होगी। यदि छात्रा की परीक्षा छूट जाती है तो महाविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।

९. विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की कदापि अनुमति नही मिलेगी।

GIRAND SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE

Affiliated to M.J.P.R. University, Bareilly
Pilakpur Shyoram (Delari), Moradabad (U.P.)
Mob.: 0591-2249111, 9412606716, 9412338138, 7417112533
Website : www.gsmdc.in Email : info@gsmdc.in

Form No.

Regular Admission Form

Courses : (Please tick) **B.A.** ☐ **B.Sc.** ☐ M.A. ☐

Note : Write all particulars in Dark Blue/Dark Black ink.

Full Name of Candidate (In Capital Letter only as per secondary school certificate)

Father's Name

Father's Occupation **Mobile No.**

Mother's Name

Rank Obtained in CET

Date of Birth **(DD/MM/YYYY)** **Nationality** **Caste** **Gender**

Examination	Board/University	Year	Subject	Marks Obtained	Max. Marks	% of Marks
X						
XII						
Graduation I						
Graduation II						
Others						

Permanent Address

Correspondence Address

Telephone No. with STD Code (Residence) Mobile No. E-mail

Date Candidate's Signature

I have fully read the information furnished by my son/daughter/ward and affirm that it is true and if it is proved that the information is fraudulent, I shall be liable to criminal prosecution.

Date Father/Guardian Signature

Form No.

Name ..... S/o or D/o ..... has

submitted the admission form of Class ..... dated .....

Clerk's Signature

Tick (✓) Caste

General		Minority	
SC		Sikh	
ST		Muslim	
OBC		Christian	
Handicap			
Freedom Fighter			

SUBJECTS

Select Subject and Tick(✓) in the Box

B.A. Part		B Sc. Part	
Hindi	☐	Physics	☐
English	☐	Chemistry	☐
Geography	☐	Botany	☐
Education	☐	Zoology	☐
Sociology	☐	Maths	☐
Political Science	☐		
Home Science	☐		

M.A. Part.....

English	☐
Education	☐
Geography	☐
Sociology	☐
Home Science	☐

Signature of Student

Activities of G.S.M. Degree College

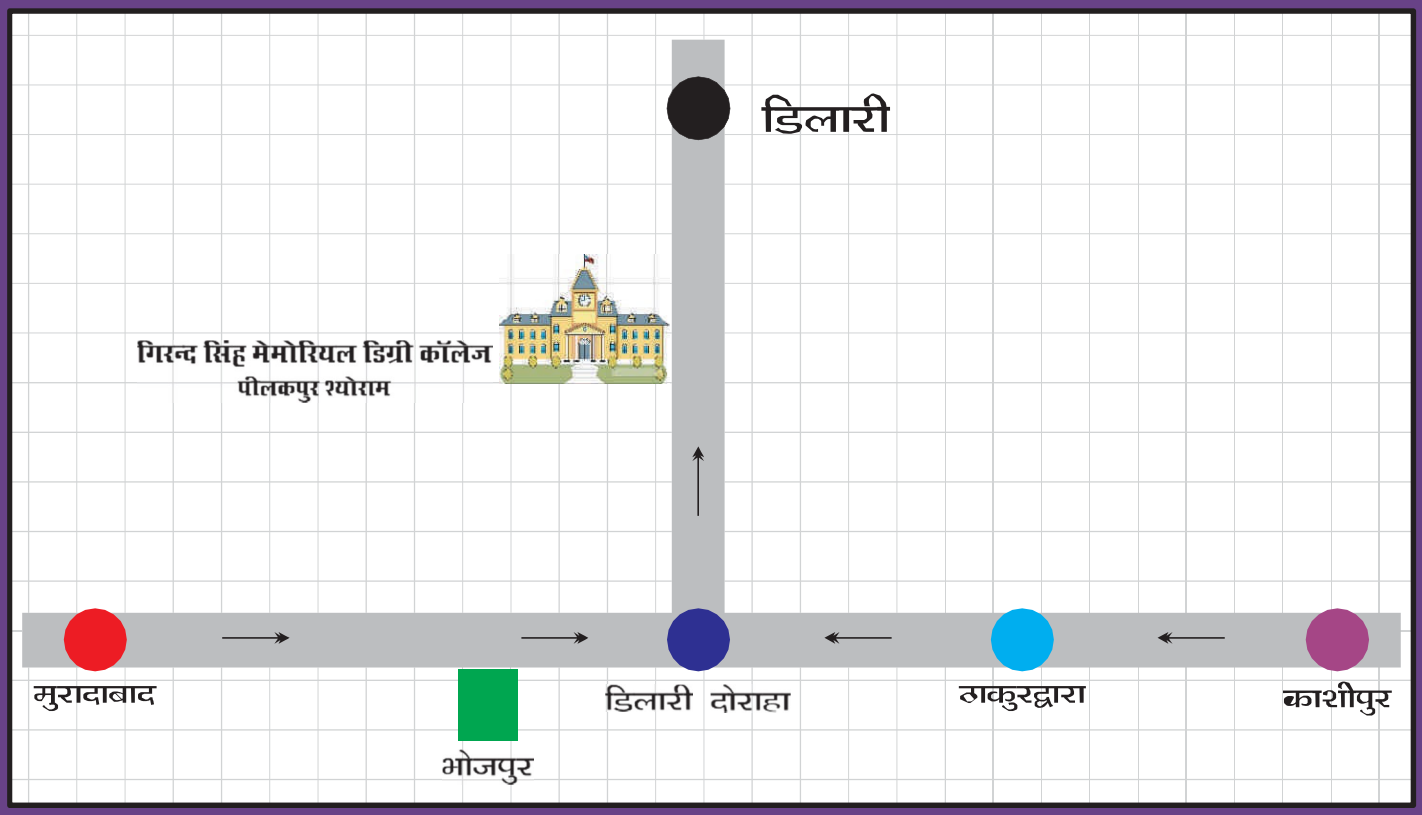
डिलारी
गिरन्द सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज
पीलकपुर श्योराम
मुरादाबाद
भोजपुर
डिलारी दोराहा
ठाकुरद्वारा
काशीपुर